

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशाल संख्या:- 189/2024

निर्णय दिनांक :- 25/6/2024

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. गुलाब पुत्र मूलचन्द जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. लाड देवी पुत्री मूलचन्द जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थीगण-

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

तहसीलदार देवली

उपस्थिति :- श्री सुनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 345 खसरा नम्बर 845 रकबा 0.13 है0 व खाता संख्या 344 खसरा नम्बर 854 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके हैं। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत् उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करवायी गई तो मोकें पर गंभीर विवाद होगा, लडाईं झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप मुकदमें बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।



